

२५/५/२६ - पञ्जावली वादी अखिबान द्वारा पार्कमा पत्र अन्तर्गत  
 धारा 151 व 152 का दी गई वेरा क्रिये जाने से  
 सिंगरसे तालुका की गद्दी वादी द्वारा प्रस्तुत  
 पार्कमा पत्र एवं पञ्जावली तथा अतिरिक्त निर्णय (डि.के.)  
 का अपलोडन किया गया।

कदी द्वारा निर्णय के पृष्ठ सं. 1 व डि.के. पृष्ठ-  
 15 पर वादीगण का नाम गलत उक्ति दे गया है।  
 जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः  
 वादी का पार्कमा पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय  
 के पृष्ठ सं. 1 व 15 पर निम्नांकित संशोधन  
 क्रिये जाने की स्वीकृति प्रकृत कि जाती है।  
 उदयलाल कीर पिता नारायण कीर (मृतक के वंशज)

- 1 - नन्दलाल पिता स्व० उदयलाल आयु व्यस्क
  - 2 - पृथ्वीराज पिता स्व० उदयलाल आयु व्यस्क
- निवासीमान- गुरला, हाला-मेजा तरसील माठल जिला भीमनादा  
 के स्थान पर

- 1 - नारायण पिता केशु जी कीर (मृतक के वंशज)
- 1/1 - उदयलाल कीर पिता नारायण कीर (मृतक के वंशज)

- 1/1/1 - नन्दलाल पिता स्व० उदयलाल आयु व्यस्क
- 1/1/2 - पृथ्वीराज पिता स्व० उदयलाल आयु व्यस्क

1/2 - लालु पिता नारायण कीर आयु व्यस्क

1/3 - कामा पिता नारायण कीर आयु व्यस्क

निवासीमान- गुरला, हाला-मेजा तरसील माठल जिला भीमनादा (का)  
 1/4 - नन्दू पुत्र नारायण पत्नी ओमप्रकाश कीर निवासी-पालम जिला-को

1/5 - सायब पुत्री नारायण कीर पत्नी भीमा कीर आयु व्यस्क  
 निवासी-सियाणा जिला-चित्तोडगढ़ (राज.)

इसके अतिरिक्त निर्णय के पृष्ठ सं. 13 व 14 पर  
 अतिरिक्त अतिरिक्त के पृष्ठ सं. 1 व 2 तथा डि.के. पृष्ठ  
 सं. 15 व 16 पर आराजी सं. 302 रकबा 8 बिघा 10 बिघा  
 अतिरिक्त के स्थान पर आराजी सं. 302 रकबा 8 बिघा  
 10 बिघा के रकबा आराजी सं. 180 रकबा 6 बिघा 8 बिघा

21/5/26  
 सहायक कलक्टर  
 भीलवाड़ा

तारीख पेशी		नम्बर व तारीख अहकाम / जो इस दुबय की तारीख में बारी हुए
22/05/26	<p>किवा जाना नव पत्र के अनुसार उचित है।  बात: निर्दिष्ट पृष्ठ सं. 13 व 14 पर  अक्ति आदेश के बिंदु सं. 1 व 2 तथा डिप्टी  पृष्ठ सं. 15 व 16 पर अक्ति आराजी से  302 रकबा 8 बिघा 10 बिस्वा के  स्थान पर शाब्दिक आराजी से, 302 रकबा  8 बिघा 10 बिस्वा के दाल आराजी से,  180 रकबा 6 बिघा 8 बिस्वा दर्ज किया  जाने की स्वीकृति प्रदत्त कि जाती है।  वादी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही पर  अन्तर्गत धारा 151, 152 गणकी स्वीकार  किया जाता है। और निर्दिष्ट में अक्ति  वादीगण के स्थान पर प्रदत्त स्वीकृति  अनुसार वादीगण का नाम तथा  आराजी से, 302 रकबा 8 बिघा 10  बिस्वा के स्थान पर शाब्दिक आराजी से,  180 रकबा 6 बिघा 8 बिस्वा दर्ज किये  जाने की संश्लेषित निर्दिष्ट एवं डिप्टी  जासी की जाती है। उक्त निर्दिष्ट पूर्व में  पारित निर्दिष्ट दिनांक 8/5/2026 का अभिप्राय  रहेगा। निर्दिष्ट सरे इलास सुसयागामा  पञ्चवली दारिद्र्य दफ्तर से और नम्बर से  कम ले</p>	

22/5/26  
सायक कलक्टर  
मौलवादी